न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 03/2026
प्रताप सिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान पिनकोड 301701 मो.न. 9413911053

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 22.01.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 03/2026 पर दिनांक 01.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/31–32 दिनांक 05.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक आरटीआई/अपील/2026/32 दिनांक 19.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 दिनांक 22.11.2025 इस कार्यालय को जरिये डाक दिनांक 28.11.2025 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना के संबंध में आवदेक को इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई–15/2025/498 दिनांक 18.12.2025 जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवा/उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 दिनांक 22.11.2025 उनके कार्यालय को जरिये डाक दिनांक 28.11.2025 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना के संबंध में आवदेक को उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई–15/2025/498 दिनांक 18.12.2025 जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवा/उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी को वांछित सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू

Scanned with CamScanner